झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची।

आदेश

विषय :– **COVID-19 Pandemic के कारण लोक निर्माण कार्य के प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में।**

झारखण्ड सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश सं०– 98/HSN दिनांक 22.03.2020 द्वारा COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए झारखण्ड में इसके प्रसार को रोकने के उद्देश्य से पूर्णतया तालाबंदी (lock down) की घोषणा की गई एवं सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया। साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक लगाई गई।

इस प्रकार दिनांक 22.03.2020 से निर्माण कार्यों पर पूर्णतः रोक लगाया गया था।

2. सम्यक विचारोपरान्त संवेदकों एवं परामर्शियों को COVID-19 Pandemic के कारण हुए lockdown जिसका प्रभाव Supply chain, access to material, labour and manpower पर पड़ा है, से संवेदकों, परामर्शियों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से निम्न निर्णय लिया जाता है :–

i) सभी continuing असैनिक निर्माण कार्य (Civil works) contract एवं संबंधित परामर्शियों (Consultants) को अपने दायित्व निर्वहन हेतु छः (6) महीने का अवधि विस्तार (extension of time) दिया जाता है।

ii) यह उन्हीं एकरारनामा/Contracts के लिए लागू होगा, जिसके पूर्ण करने की तिथि (Date of completion) 23 मार्च 2020 के बाद की है।

iii) उपरोक्त कंडिका–ii में वर्णित Date of completion का तात्पर्य है :–

    a. एकरारनामा के अनुसार असैनिक निर्माण कार्य (Civil works) पूर्ण करने की तिथि।

    b. यदि पूर्व में अवधि विस्तार की गई हो तो स्वीकृत समयवृद्धि के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि।

    उपरोक्त दोनों स्थिति में संबंधित असैनिक निर्माण कार्य (Civil works) के Contract के अवधि विस्तार की पात्रता (eligibility) होगी।

iv) यह अवधि विस्तार वैसी प्रगतिशील (continuing) योजनाओं पर होगा, जिसका वित्त पोषण राज्य के Plan/Capital (योजना/पूंजीगत) एवं Non Plan/Revenue head (गैर योजना/राजस्व) से हो रहा है।

v) दिनांक 23.03.2020 के बाद छः (6) महीने की समय वृद्धि (extension of time) एकमुश्त दी जायेगी। इस समयवृद्धि का आदेश अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

vi) इसका मूल उद्देश्य COVID-19 Pandemic की अवधि में कार्य बन्द रहने के कारण हुई समय क्षति की भरपाई हेतु बिना किसी आर्थिक दण्ड के कार्य के समापन हेतु समयवृद्धि प्रदान करने का है।

3. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(नागेश मिश्र)
अभियंता प्रमुख–I

ज्ञापांक :– 2/PMC/कार्य/790/2019– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(नागेश मिश्र)
अभियंता प्रमुख–I

ज्ञापांक :– 2/PMC/कार्य/790/2019– 202 /राँची, दिनांक 07/04/2021

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–I/II के प्रधान आप्त सचिव, राँची/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।प्रेषित।

07/04/2021
(नागेश मिश्र)
अभियंता प्रमुख–I